न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–246/2003
CIS NO. TS-152/2019

अनिरूद्ध प्रसाद राय एवं अन्य..वादीगण

बनाम

उमाशंकर राय एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
18.12.2023	वादीगण की ओर से पैरवी है। प्रतिवादीगण की ओर से पैरवी नही है। वाद पुकार किया गया। वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 17.10.2019 अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–01 अनिरूद्ध प्रसाद की मृत्यु दिनांक 27.09.2019 को हो चुकी है। मृतक वादी की पत्नी उनके जीवनकाल में ही मर चुकी है तथा मृत वादी अपने पीछे अपने विधिक वारिसानों के रूप में एक पुत्र अरूण कुमार राय तथा चार पुत्री पुनीता सिंह, विभा ठाकुर, नीकि सिंह एवं सुचिता तिवारी को छोडकर वफात कर गये है। मृत वादी का नाम विलोपित कर आवेदन में वर्णित वारिसानों का नाम वादपत्र में वादीगण के रूप में प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का कोई प्रत्युत्तर दाखिल नही किया गया। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण का आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा समय सीमा से प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल किया गया है। यह कि वादीगण के प्रतिस्थापन आवेदन के प्रत्युत्तर हेतु प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जा चुका है। बावजुद इसके प्रतिवादीगण की ओर से वाद में कई तिथियों से न पैरवी और न ही वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिया जा रहा है। दिनांक 08.11.2023 को प्रतिवादीगण को प्रत्युत्तर हेतु अंतिम अवसर दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वाद में अग्रेतर कार्यवाही करते हुये न्यायहित में वादीगण के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 17.10.2019 स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार वादपत्र से मृत	

<u>न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–246/2003</u>

<u>**CIS NO. TS-152/2019**</u>

अनिरूद्ध प्रसाद राय एवं अन्य...वादीगण

बनाम

उमाशंकर राय एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **18.12.2023**	वादी का नाम विलोपित करने की अनुमति दी जाती है तथा कार्यालय लिपिक आवेदनानुसार वादी के विधिक वारिसानों का नाम वादपत्र में जोडे। वाद दिनांक 15.01.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	